

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 913 सन 2020

अनवान :-

1. जयसिंह पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. कौशल्या देवी पुत्री धर्मपाल पत्नी गंगाराम जाति मेघवाल निवासी आशाखेडा।
4. गीता पुत्री धर्मपाल पत्नी महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी ईन्दासी जिला चुरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 11/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 41/43 की कुल 0.7590 हेक् रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 की कुल 3.2890 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा पुरखाराम वल्द मानाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा पुरखाराम वल्द मानाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।


वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पुरखाराम वल्द मानाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता पुरखाराम वल्द मानाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 41/43 की कुल 0.7590 हैक् रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 की कुल 3.2890 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा पुरखाराम वल्द मानाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा पुरखाराम वल्द मानाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पुरखाराम वल्द मानाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।


प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 41/43 की कुल 0.7590 हैक् रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 की कुल 3.2890 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि पुरखाराम वल्द मानाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा पुरखाराम वल्द मानाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा पुरखाराम वल्द मानाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है

 उपखण्ड अधिकारी
गोहर

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 41/43 की कुल 0.7590हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है तथा रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 की कुल 3.2890हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से प0न0 358/449(8) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक् गै0मु0 रास्ता 1/2 की 0.2280 ,2/1 की 0.0260हैक् गै.मु. रास्ता 2/2 की 0.2270हैक् किला न0 10 मिन उत्तर की 0.1285हैक् कुल 0.6325हैक् भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा प0न0 357/449(7) किला न0 2/1 की 0.0250हैक् गै0मु0रास्ता 2/2 की 0.2280हैक् , 3/1 की 0.0260हैक् गै0मु0रास्ता 3/2 की 0.2270हैक् 4/1 की 0.0250हैक् गै0मु0रास्ता 4/2 की 0.2280हैक् 6/0.2530 ,7/.2530 ,प0न0 358/449(8) किला न0 10 मिन दक्षिण की 0.12650हैक् कुल 1.3915हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे एवं प0न0 356/450(12) किला न0 1/0.2530 ,2/0.2530 ,3/2 की 0.127 ,8/2 की 0.1260 ,9/0.2530 ,10/0.2530 कुल 1.2650हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाक्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
आहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जयसिंह पुत्र धर्मपाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र पुरखाराम जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति मेधवाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. कौशल्या देवी पुत्री धर्मपाल पत्नी गंगाराम जाति मेधवाल निवासी आशाखेडा।
4. गीता पुत्री धर्मपाल पत्नी महेन्द्र जाति मेधवाल निवासी ईन्दासी जिला चुरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 913 सन 2020 निर्णय दिनांक- 11/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 41/43 की कुल 0.7590हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 50/50 की कुल 3.2890हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से प0न0 358/449(8) के किला न0 1/1 की 0.0250हैक् गै0मु0 रास्ता 1/2 की 0.2280 ,2/1 की 0.0260हैक् गै.मु. रास्ता 2/2 की 0.2270हैक् किला न0 10 मिन उत्तर की 0.1265हैक् कुल 0.6325हैक् भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा प0न0 357/449(7) किला न0 2/1 की 0.0250हैक् गै0मु0रास्ता 2/2 की 0.2280हैक् , 3/1 की 0.0260हैक् गै0मु0रास्ता 3/2 की 0.2270हैक् 4/1 की 0.0250हैक् गै0मु0रास्ता 4/2 की 0.2280हैक् 6/0.2530 ,7/0.2530 ,प0न0 358/449(8) किला न0 10 मिन दक्षिण की 0.12650हैक् कुल 1.3915हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे एवं प0न0 356/450(12) किला न0 1/0.2530 ,2/0.2530 ,3/2 की 0.127 ,8/2 की 0.1260 ,9/0.2530 ,10/0.2530 कुल 1.2650हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)